लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था2/ राज/ विविध/ / 2012/ 482 भोपाल, दिनांक 16/4/12

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी

जिला मध्यप्रदेश।

विषयः— व्याख्याताओं की ई—सेवा पुस्तिकाओं में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों को सुधारने विषयक्।

विषयान्तर्गत प्रकरण में लेख है कि आपके जिले के जिन व्याख्याताओं की ई—सेवा पुस्तिकायें बनाई गई है उनका अवलोकन करने पर निम्नांकित त्रुटियाँ परिलक्षित हो रही हैः—

1. ई—सेवा पुस्तिका में व्याख्याताओं के विषय के कॉलम में केवल आर्ट/ विज्ञान समूह आदि अंकित है जबकि वास्तविक विषय लिखा जाना चाहिये । जैसे यदि व्याख्याता इतिहास का है तो विषय की जानकारी में इतिहास , गणित विषय का है तो विषय की जानकारी में गणित स्पष्ट लिखा होना चाहिये।
2. यह भी देखने में आया है कि कई व्याख्याताओं की विषय संबंधी कोई जानकारी ही अंकित नही है।
3. यदि कोई व्याख्याता व्यावसायिक शिक्षा का है तो विषय में व्यावसायिक शिक्षा के साथ— साथ ब्रेकेट मे संबंधित व्याख्याता का ट्रेड अंकित करें।
4. अधिकांश प्रकरणों में सेवा पुस्तिका का प्रथम पेज अपलोड नहीं है।
5. अधिकांश प्रकरणों में प्रथम नियुक्ति पत्र तथा वर्तमान नियुक्ति पत्र की प्रतियाँ अपलोड नहीं की गई है।

उपरोक्त कारणों से ई—सेवा पुस्तिका बनाने का जो उद्देश्य है वह पूर्ण नहीं हो पा रहा है । यदि यह ज्ञात करना हो तो व्याख्याता किस विषय का है तथा किस दिनांक से उसकी पदोन्नति / नियुक्ति हुई है, तो उक्त कारणों से यह जानकारी ई—सेवा पुस्तिका से प्राप्त नहीं हो पा रही है।

उक्त जानकारी ई—सेवा पुस्तिका में न होने के बावजूद भी आपके द्वारा इनकी ई—सेवा पुस्तिका का सत्यापन किया गया है , जो कि आपत्तिजनक एवं उद्देश्यहीन है। अतः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जिले के सभी व्याख्याताओं की ई—सेवा पुस्तिकाओं का परीक्षण करले तथा यह सुनिश्चित करलें कि उपरोक्तानुसार जानकारी के

साथ–साथ अन्य जानकारी भी जो सेवा पुस्तिका में अनिवार्य रूप से भरी जानी है , उन्हें भी दिनांक 30.04.2012 तक पूर्ण कर अद्योहस्ताक्षकर्ता के नाम से यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि आपके द्वारा जिले के समस्त व्याख्याताओं की ई–सेवा पुस्तिका का मिलान सेवा पुस्तिका से कर लिया गया है एवं इसमें विषय के साथ–साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों का समावेश किया जा चुका है तथा नियुक्ति/ पदोन्नति संबंधी सभी आदेश अपलोड कर दिये गये है।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से समयसीमा में पालन करना सुनिश्चित करें। यदि 30.04.12 के बाद व्याख्याताओं की ई–सेवा पुस्तिका अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो उसकी समस्त जिम्मेवारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी की रहेगी।

(सभाजीत यादव)
संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/स्था2/ राज/ विविध/ / 2012/ 483 भोपाल, दिनांक 16/4/12

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, पाठ्य पुस्तक भवन, अरेरा हिल्स,भोपाल।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. कुल सचिव, म.प्र.भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय,भोपाल।
4. संचालक, मध्यप्रदेश राज्य ओपन स्कूल भोपाल।
5. सचिव, म.प्र.मदरसा बोर्ड, भोपाल।
6. सचिव,महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, भोपाल।
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश ।

की ओर सूचनार्थ एवं भेजकर लेख है कि आपके कार्यालयों/ संस्थानों में पदस्थ व्याख्याताओं की ई–सेवा पुस्तिका में उपरोक्तानुसार आवश्यक पूर्तिया कराने संबंधी कार्यवाही करावें जिससे कि ई–सेवा पुस्तिका बनाये जाने का उद्देश्य पूर्ण हो सके।

संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश